

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता

राजाज्ञा संख्या : 430/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015 एवं 1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर माह जनवरी 2018 से जून 2018 के औसत मूल्य सूचकांक 311 पर रू0 20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-10-2019 से 31-03-2020 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :-

$$(311-253) \times 20 = 1160.00$$

Handwritten signature
(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : 3767 /4-1/2012

दिनांक : 26-9-2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराएं तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

Handwritten signature
(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।